भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2533

09.03.2026 को उत्तर के लिए

वस्त्र उद्योग द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय प्रदूषण

2533. श्री जी. लक्ष्मीनारायण :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान वरख एवं परिधान उद्योग द्वारा उत्पद्म जल प्रदूषण, बायु उत्सर्जन और खतरनाक अपशिष्ट उत्पादन महित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितना पर्यावरणीय प्रदूषण हुआ है;

(ख) प्रदूषणकारी के रूप में चिहिनत की गई वरख इकाइयों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-बार संख्या कितनी है और निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन के संबंध में उनकी स्थिति क्या है;

(ग) सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी), शून्य तरल निर्वहन (जेडएलडी) प्रणाली और ठोस एवं खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं सहित सरकार द्वारा समर्थित या निर्मित प्रदूषण नियंत्रण अवसंरचना का ब्यौरा क्या है और कितनी क्षमता का निर्माण हुआ है और कितनी इकाइयां शामिल हैं;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान वस्त्र क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरणीय अनुपालन के लिए विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत आबंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है:

(ङ) मीईटीपी, जेडएलडी संयंत्रों की स्थापना या उन्नयन या स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु प्राप्त, स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है; और

(च) वस्त्र उद्योग में सतत् और कम प्रदूषणकारी प्रौद्योगिकियों की निगरानी, प्रवर्तन और अपनाने को सुदृढ करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (च): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2025 में वस्त्र उद्योग सहित विभिन्न उद्योगों के वर्गीकरण में संशोधन किया है तथा दिनांक 12.02.2025 को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18(1)(ख) के अंतर्गत सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को निर्देश जारी किए हैं, ताकि औद्योगिक क्षेत्रों के वर्गीकरण को रेड, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट और ब्लू श्रेणियों के तहत उनके समरूप बनाया जा सके।

सीपीसीबी उद्योगों के अनुपालन की पुष्टि करने के लिए समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण करता है। यह निरीक्षण ऑनलाइन सतत बहिर्स्राव निगरानी प्रणाली (ओसीईएएमएस) के रियल-टाइम डेटा के

विश्लेषण,राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कार्यक्रम (गंगा बेसिन में) तथा प्राप्त हुईं जन शिकायतों/अभ्यावेदनों आदि के आधार पर आवश्यकतानुसार किए जाते हैं। उल्लंघनों की गंभीरता के आधार पर, पिछले पाँच वर्षों के दौरान सीपीसीबी ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत बहिर्स्राव/उत्सर्जन निर्वहन मानकों के अनुपालन न करने के कारण छः इकाइयों को बंद करने के निर्देश जारी किए थे। बाद में इन सभी 6 इकाइयों ने सीपीसीबी द्वारा बंद करने संबंधी निर्देशों का अनुपालन किया और तदनुसार बंद करने संबंधी आदेश वापस ले लिए गए। प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों तथा उनके अनुपालन की स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रखा जाता है।

देशभर के 21 राज्यों में कुल 225 सामान्य बहिर्श्राव उपचार संयंत्र संचालित हैं, जिनकी औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार के लिए संयुक्त डिजाइन उपचार क्षमता 2245 मिलियन लीटर प्रति दिन है। इनमें से विभिन्न राज्यों में स्थित 56 सीईटीपी को शून्य तरल निर्वहन (जेडएलडी) प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑनलाइन सतत बहिर्स्राव निगरानी प्रणाली (ओसीईएएमएस) के माध्यम से स्व-नियमन को सुदृढ़ करने के लिए 184 सीईटीपी को वास्तविक समय निगरानी एवं चौकसी प्रणाली से युक्त किया गया है, जिनकी कनेक्टिविटी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सर्वर से स्थापित है। इसके अलावा, सीईटीपी के निर्वहन मानकों को उनसे संबद्ध औद्योगिक क्षेत्रों के निर्वहन मानकों के समरूप बनाने तथा सीईटीपी की प्रभावी निगरानी और सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 09.09.2024 को एक संशोधित अधिसूचना प्रकाशित की। जिसके अधिसूचना में सीईटीपी के लिए समस्त निर्वहन मानक शामिल हैं तथा सीईटीपी के समुचित संचालन के लिए विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ भी निर्धारित की गई हैं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 10.10.2016 के सा.स.नि. 978(अ.) के माध्यम से सभी एकीकृत वस्त्र इकाइयों, सूती/ ऊनी/ कालीन/ पॉलिएस्टर इकाइयों, प्रिंटिंग/ डाइंग/ ब्लीचिंग प्रसंस्करण अथवा विनिर्माण करने वाली इकाइयों तथा गारमेंट इकाइयों के लिए उपचारित अपशिष्ट जल के मानक अधिसूचित किए हैं। संबंधित राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ इन मानकों का कार्यान्वयन एवं अनुपालन सुनिश्चित करती हैं।

वस्त्र उद्योग को आवश्यक पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने में सुविधा प्रदान करने तथा प्रोसेसिंग क्लस्टर/प्रोसेसिंग पार्कों में नए सामान्य बहिर्श्राव उपचार संयंत्र(सीईटीपी) की स्थापना/उन्नयन के समर्थन के लिए वस्त्र मंत्रालय वर्ष 2013 से एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण-अनुकूल प्रसंस्करण मानकों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए भारतीय वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। वर्तमान में यह योजना केवल चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 6 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं, जो वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन हैं। अब तक भारत सरकार द्वारा ₹213 करोड़ की अनुदान राशि जारी की जा चुकी है। परियोजनाओं का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईडीपीडीएस) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	स्वीकृति की तिथि	परियोजना लागत	भारत सरकार का अनुमोदित अंश	भारत सरकार का जारी किया गया अंश	स्थिति
1	बालोतरा वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट एंड रिवर्स ऑस्मोसिस प्राइवेट लिमिटेड	राजस्थान	06.07.2015	131.89	65.89	62.45	पूर्णता के करीब
2	जसोल वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट एंड रिवर्स ऑस्मोसिस प्राइवेट लिमिटेड	राजस्थान	19.10. 2015	38.5	19.25	14.43	कार्यान्वयनाधीन
3	सांगानेर एनवायरो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट	राजस्थान	11.03. 2016	159	75	37.5	कार्यान्वयनाधीन
4	नेक्स्टजेन टेक्सटाइल पार्क	राजस्थान	13.04.2021	129.42	64.71	6.3	कार्यान्वयनाधीन
5	पाली कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट	राजस्थान	19.10.2016	100	50	37.5	कार्यान्वयनाधीन
6	गुजरात इको टेक्सटाइल पार्क	गुजरात	06.04.2018	146.39	73.195	54.84	कार्यान्वयनाधीन

*****